160

पत्रांक -सा0पु0-2-1-51/86/ .....91...../सा0पु0

बिहार सरकार

साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक

श्री जिया लाल आर्य,
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दि0-2/8 जनवरी, 1987 ई0

वित्त विभाग से अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : **बाढ़ साहाय्य एवं सुरक्षात्मक कार्य के लिए नई नावों के क्रय करने के संबंध में ।**

महाशय,

बाढ़ साहाय्य एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए बाढ़ नियामक जिलों में हर वर्ष नई नावों का क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है । अबतक की प्रक्रिया के अनुसार नई नावों के क्रय का प्रस्ताव जिलाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग को भेजते है और विभाग से स्वीकृत्यादेश और आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् जिला स्तर पर नावों का क्रय किया जाता है । ऐसा अनुभव हुआ है कि इस प्रक्रिया में काफी विलम्ब हो जाता है जिससे समय पर नावों की आपूर्ति नहीं हो पाती है और बाढ़ साहाय्य एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए बहुत अधिक संख्या में निजी नावों को किराए पर लेना पड़ता है । सरकार ने इस बिन्दु पर भली -भाँति विचार कर यह निर्णय लिया है कि नावों के क्रय करने की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त को निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदत्त कर दी जाय ।

(1) प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक प्रमंडल स्थित सभी जिला पदाधिकारियों को उनके जिले में उपलब्ध सरकारी नावों का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाय ।

प्रपत्र

(जिले का नाम)

क्र0 सं0	सरकारी नावों की सं0	मरम्मति के लिए नावों की संख्या	वैसी नाव की संख्या जिनकी मरम्मति संभव नहीं है	नई नावों के क्रय की आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

1159

(2) विभिन्न जिलों से प्राप्त मांग के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा निविदा मांगी जाय जिसमें नावों का आकार, लकड़ी की किस्म, मूल्य तथा नाव आपूर्ति करने की क्षमता की विवरणी हो ।

(3) प्राप्त निविदा के आधार पर न्यूनतम दर एक समिति द्वारा निर्धारित किया जाय जिसके अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और सदस्य, मुख्यालय जिला के समाहर्ता, मुख्यालय स्थित जिला के लेखा पदाधिकारी और प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता रहेंगे ।

(4) अन्तिम दर के निर्धारण में पिछले पाँच वर्ष में क्रय किये गए दरों का औसत प्रस्तावित वर्ष के लिए संभावित मूल्य रहना चाहिए, यदि अन्तिम दर इस संभावित दर से दस प्रतिशत और उससे ऊपर आ जाए तो प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग में भेजा जाय, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाय ।

(5) उपर्युक्त कार्य 15 मार्च तक समाप्तकर मार्च के अन्तिम सप्ताह तक सभी जिलाधिकारियों को प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा स्वीकृत अन्तिम दर सूचित कर दिया जाय जिसके आधार पर संबंधित जिला पदाधिकारी नावों का क्रय, आवंटन की उपलब्धता के अनुसार मई तक कर लें ।

2. उपर्युक्त निर्देश के अनुपालनार्थ एक मार्ग-दर्शन भी संलग्न किया जा रहा है जिसके अनुसार कार्रवाई की जाय ।

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(जिया लाल आर्य)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - 91 /सा0पु0, पटना -15, दि0- 2/8 जनवरी, 1987 ई0

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(जिया लाल आर्य)
आयुक्त एवं सचिव

नई नावों के क्रय करने हेतु मार्गदर्शन

सरकारी नावों के क्रय करने की अबतक की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से नई नावों के क्रय करने की शक्ति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को प्रदत्त की जाय । प्रमंडलीय आयुक्त निम्नांकित मार्गदर्शन के अनुसार नई नावों के क्रय करने की प्रक्रिया अपनाएँगे ।

2. बाढ़, साहाय्य एवं सुरक्षात्मक कार्य के लिए प्रमंडलीय आयुक्त जिला पदाधिकारियों से प्रतिवर्ष दिसम्बर माह तक सरकारी नावों के संबंध में प्रतिवेदन निम्नांकित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे :-

क्र0सं0	जिला का नाम	सरकारी नावों की संख्या	मरम्मति के लिए नावों की संख्या	वैसी नावों की संख्या जिनकी मरम्मति संभव नहीं है	नई नावों के क्रय की आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

3. प्रमंडलीय आयुक्त एक क्रय समिति का गठन करेंगे जिसके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होंगे और मुख्यालय जिला के समाहर्ता, मुख्यालय स्थित जिला के लेखा पदाधिकारी और प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सदस्य रहेंगे ।

4. विभिन्न जिलों से प्राप्त मांग के अनुसार संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त अपने स्तर से निविदा आमंत्रित करेंगे जिसका प्रकाशन दैनिक या अन्य समाचार पत्रों में किये जाएँगे । निविदा के प्रकाशन और क्रय समिति की बैठक, की तिथि के बीच कम से कम 45 दिनों का अन्तर होना चाहिए । अगर निविदा दुबारा आमंत्रित करनी पड़े तो उसकी अवधि प्रथम वार आमंत्रित निविदा तिथि से कम से कम एक माह का होना चाहिए । निविदा के नावों की संख्या एवं आकार, लकड़ी का किस्म, नावों की क्षमता, प्रस्तावित मूल्य इत्यादि का विवरण होना चाहिए । निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी या सिक्यूरिटी डिपॉजिट का भी प्रावधान होना चाहिए । निविदा में आपूर्तिकर्ता को किसी किस्म का अग्रिम देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए । निविदा प्राप्त करने की तिथि और समय सुनिश्चित रहना चाहिए और निविदा क्रय समिति के समक्ष निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जानी चाहिए ।

5. क्रय समिति निविदादाताओं की उपस्थिति में निश्चित तिथि एवं समय को निविदा खोलकर समीक्षा करेंगे और न्यूनतम दर वाले निविदा स्वीकृत करेंगे ।

157

6. क्रय समिति दर के निर्धारण में पिछले 5 वर्ष के क्रय किए गए दरों का औसत प्रस्तावित वर्ष के लिए संभावित मूल्य के रूप में रखेगी और यदि अन्तिम दर इस संभावित दर से 10 प्रतिशत या उससे ऊपर आ जाए तो प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग को भेजा जाएगा जहाँ वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा ।

7. उपर्युक्त क्रय 15 मार्च तक समाप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त मार्च के अन्तिम सप्ताह तक संबंधित जिलाधिकारियों को नाव का स्वीकृत दर सूचित कर देंगे और आपूर्तिकर्ता से विहित प्रपत्र एकरारनामा करा लेंगे जिसमें नावों की आपूर्ति निश्चित समय अर्थात् बाढ़ के पूर्व कर देने का अवश्य जिक्र रहे । समाहर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि नयी नावों का क्रय आवंटन की उपलब्धता के अनुसार मई माह तक कर लिया जाए ।

8. नावों की आपूर्ति लेते समय जिला पदाधिकारी किसी तकनीकी पदाधिकारी से यह जाँच करा लें कि नये नावों का निर्माण निविदा के अनुरूप किया गया है ।

9. प्रमंडलीय आयुक्त विभिन्न जिलों के लिए क्रय की जानकारी, नावों की संख्या और स्वीकृत दर पर आवंटन की आवश्यकता के संबंध में प्रतिवेदन साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग को भेज देंगे ।